न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 43/2022 जिला सीकर

1. झूझाराम पुत्र भूदाराम
2. पदमाराम पुत्र भूदाराम
3. दीपचन्द पुत्र बजरंगलाल
4. हरदेवाराम पुत्र छोटू
5. भगवानाराम पुत्र गणेशाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, तहसील धोद, जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

2. झाबर पुत्र बेगाराम,
3. धीराराम पुत्र बेगाराम,
4. विमला देवी पत्नी धीरामराम
5. मंजूदेवी पुत्री चौथी,
6. मोहन दत्तक पुत्र चन्द्रा

6/1. रिछपाल पुत्र मोहन
6/2. सुख देवी पुत्री मोहन
6/3. छोटी देवी पुत्री मोहन
6/4. सुशीला देवी पुत्री मोहन

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर।

7. सोहनी पत्नी झाबरमल
8. झाबर पुत्र बेगाराम (पुनरावृत्ति के कारण नाम हजफ)
   (आदेश दिनांक 14.09.2022)
9. हरफूल पुत्र लच्छाराम
10. डूंगाराम पुत्र लच्छाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 06.12.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित—

1. श्री विवेक शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सुरेश यादव, वकील रेस्पों. नं. 2, 3, 6/1 से 6/4, 7, 9
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 1
4. रेस्पो. नं. 10 नोटिस लेने से इन्कार।

अपील संख्या 44/2022 जिला सीकर

1. नोपाराम पुत्र तुलछा
2. डालूराम पुत्र तुलछा
3. ज्याना देवी पुत्री सुरजी
4. भगवानी देवी पुत्री सुरजी
5. मोहरी देवी पुत्री सुरजी
6. हीरा पुत्र सदासुख

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील धोद, जिला सीकर।

Scanned with OKEN Scanner

2. गोपाल पुत्र तुलछा, जाति जाट निवासी ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 06.12.2021

उपस्थित–

1. श्री लालचन्द जाट, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सुरेश यादव, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2
3. चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 19.10.2022

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 06.12.2021 के खिलाफ प्रा. पत्र मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे ।

2. दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 06.12.2021 के द्वारा ग्राम कासली के ख.नं. 1459, 1458, 1460, 1461, 1466, 1494, 1469, 1470, 1472, 1491, 1518, 1522/1663, 1523, 1523/1664, 1524,1525, 1542 कुल किता 17 में रास्ते को राजस्व रिकार्ड को रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस भिजवाया गया। तहसीलदार धोद जिला सीकर के दिनांक 06.12.2021 के द्वारा रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है, एवं कदीमी बताया गया है। यह रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। तहसीलदार धोद जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 06.12.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय 06.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर दिनांक 06.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के दोनों योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर दिनांक 6.12.2021 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलान्टस को बिना पक्षकार बनाये ही बाला बाला ही कर ली गई तथा अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये ही निर्णय पारित करवा लिया तथा पालना भी चुपचाप कर दी गई। जिस कारण से अपीलान्टस को प्रकरण की कोई जानकारी

Scanned with OKEN Scanner

नहीं हो पाई और और जानकारी होने पर अपीलान्टस ने नकल दिनांक 10.02.2022 को नकल प्राप्त कर श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जावे। अपीलान्टस के दौरान अवधि को अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्टस आराजी खसरा नम्बर 1558 से 1567, 1572, 1491, 1522/1663, 1523, 1523/1664, 1524, 1525, 1542, 1558 से 1567, 1572, 1491, 1522/1663, 1523, 1523/1664, 1524, 1525 तथा 1542 ग्राम बाके ग्राम कासली के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये तथाकथित रास्ते हेतु जो भूमि गैर मु. रास्ता दर्ज की गई है उस भूमि के अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं अपनी खातेदारी की भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर कृषि करते आ रहे हैं। उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष होने के बावजूद भी अपीलान्टस को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका ही दिया गया और बिना सुनवाई किये ही अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि कम कर दी गई जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नया रास्ता दर्ज करने का धारा–251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एस.डी.ओ. को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही अधिकार प्राप्त है। तथा किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत किसी खातेदार काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत निर्णय पारित करने में भूल की है । ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर दिनांक 06.12.2021 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 06.12.2021 के द्वारा ग्राम कासली के विवादित खसरों में रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाये गये। तहसीलदार के प्रस्ताव दिनांक 06.12.2021 एवं मुताबिक रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित खसरों से गुजरने वाला रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है, एवं कदीमी है। यह रास्ता उपरोक्त खसरा नम्बरान में मौके पर चालू स्थिति में है, लेकिन इसकी राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता बारहमासी व प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है, और आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार धोद जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 06.12.2021 के अनुसार मय नक्शा

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त होने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये हैं। उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार धोद ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर प्रचलित व पुराना है 17 खसरा नम्बरों से होकर जाता है। यह रास्ता इन खसरा नम्बरान में मौके पर चालू स्थिति में है, लेकिन इसकी राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत कायली का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है। दैनिक उपयोग में आ रहा है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। धारा-58, 86 में भी सम्बन्धित को भ्रमण की सूचना देने की ही अपेक्षा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>अतः आदेश है कि:</u> अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर का निर्णय दिनांक 06.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner